भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2268

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के प्राथमिक उद्देश्य

†2268. श्रीमती भारती पारधी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुनरूद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसका उद्देश्य देश में वितरण क्षेत्र में किस प्रकार सुधार और सुदृढ़ीकरण करना है;

(ख) वर्ष 2025-26 तक सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने और आपूत्रि की औसत लागत-औसत प्राप्ति (एसीएस-एआरआर) के बीच के अंतर को भरने के संबंध में इस योजना के संभावित परिणाम क्या हैं;

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत कौन-कौन से प्रमुख सुधार कार्यान्वित किए जा रहे हैं और दिसंबर, 2025 तक इस प्रक्रिया में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(घ) देश भर में एटी एंड सी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतर में कमी लाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इस प्रगति का पता लगाने के लिए मौजूद निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस योजना के सफल कार्यान्वयन और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को कोई अतिरिक्त सहायता या प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वित्तीय रूप से स्थिर तथा प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस स्कीम का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है तथा केंद्र सरकार की अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है। इस स्कीम की समाप्ति तिथि 31.03.2028 है।

इस स्कीम का लक्ष्य अखिल भारतीय स्तर पर समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15 प्रतिशत तक कम करना तथा औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच के अंतर को शून्य तक लाना है।

स्कीम के अंतर्गत हानि में कमी तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए (निजी क्षेत्र की वितरण यूटिलिटी को छोड़कर) वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत 1.53 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली हानि न्यूनीकरण परियोजनाएँ तथा 1.30 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं।

स्कीम के अंतर्गत धनराशि का निर्गमन वितरण यूटिलिटी के प्रचालन एवं वित्तीय निष्पादन में सुधार पर निर्भर है, जिससे भारत सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों के साथ मिलकर सरकारी अनुदानों एवं सरकारी विभागों के बकाया भुगतानों का समय पर भुगतान, टैरिफ आदेशों का नियमित निर्गमन, लेखों का प्रकाशन, विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन न करना आदि में अनुशासन लाने में सहायता मिली।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की नोडल एजेंसियों, अर्थात् पीएफ़सी लिमिटेड एवं आरईसी लिमिटेड द्वारा नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी के लिए राज्य स्तर पर संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "वितरण सुधार समिति" तथा केंद्रीय स्तर पर सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में "अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति" की स्थापना की गई है।

इसके अलावा, स्कीम के अंतर्गत वितरण यूटिलिटियों को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) हेतु सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत योजना निर्माण, निविदा प्रक्रिया, कार्यों की निगरानी तथा निष्पादन पर पर्यवेक्षण जैसी सेवाएँ शामिल हैं।

आरडीएसएस तथा अन्य पहलों के अंतर्गत किए गए विभिन्न सुधारों और केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की समेकित तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 2020-21 में 21.91 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.04 प्रतिशत हो गई हैं। इसी प्रकार, औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) एवं औसत प्राप्त राजस्व (एआरआर) के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2020-21 में ₹0.69 किलोवाटघंटा से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹0.06 किलोवाट घंटा रह गया है।

****